रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, सितम्बर 17—सितम्बर 23, 2017, शनिवार/भाद्र 26—आश्विन 1, 1939
No. 30] NEW DELHI, SEPTEMBER 17—SEPTEMBER 23, 2017, SATURDAY/BHADRA 26—ASVINA 1, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2017

का.नि.आ. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, सिविलियन सुरक्षा काडर (समूह 'क' और समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, में सिविलियन सुरक्षा काडर (समूह 'क' और समूह 'ख') पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सिविलियन सुरक्षा काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ '1' में विर्निदिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं; आदि.**– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मुख्य सुरक्षा अधिकारी	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67700 -208700 रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सशस्त्र बल कार्मिकों का पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति :-** ऐसे ज्येष्ठ सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सुरक्षा तथा अग्निशमन पाठयक्रम में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता

	सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) वाले पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, और **(ख)** जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, **और** (ii) सुरक्षा तथा अग्निशमन कार्यों में पांच वर्ष का अनुभव । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । [प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।] **प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए)** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) में सेना, नौसेना और वायुसेना के मेजर रैंक या समतुल्य रैंक के ऐसे सशस्त्र बल के कार्मिकों के संबंध में भी विचार, किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल मे नियुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर बने रहने दिया जा सकता है यदि ऐसे पात्र अधिकारी का उस पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्ति हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर की जाएगी। (सिविलियन पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक) सशस्त्र बल के मेजर रैंक या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ(7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । यदि ऐसे अधिकारियों का उस पद पर चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्ति हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) महानिदेशक (अनुसंधान तथा विकास) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष; (2) निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक मानव संसाधन विकास संगठन निदेशालय —सदस्य ; (3) निदेशक या उपसचिव (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय —सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) महानिदेशक (अनुसंधान तथा विकास), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष; (2) निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक मानव संसाधन विकास संगठन निदेशालय —सदस्य; (3) निदेशक या उपसचिव (अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक या उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय —सदस्य	सशस्त्र बल कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) / पुनर्नियोजन के लिए संघ लोक सेवा से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ सुरक्षा अधिकारी	7* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए 2 वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सशस्त्र बल कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन।	प्रोन्नति :- ऐसे सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) के पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा कर ली हो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा आयोजित सुरक्षा संबंधी दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण और अग्निशमन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता

	सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी; **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य के पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और **(ख)** जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है अर्थात्:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और (ii) जिनके पास सुरक्षा और अग्निशमन कार्यों में तीन वर्ष का अनुभव है । [पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे] [प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु सीमा द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।] **प्रतिनियुक्ति – पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए) –** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रू.) में सेना, नौसेना और वायुसेना में लैफ्टिनेंट या समतुल्य रैंक के ऐसे सशस्त्र बल के कार्मिकों के संबंध में भी विचार, किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हैं। ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल मे नियुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर बने रहने दिया जा सकता है यदि ऐसे पात्र अधिकारी का उस पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्ति हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर की जाएगी। (सिविलियन पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक)

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में) विचार के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) महानिदेशक, (अनुसंधान और विकास) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन —सदस्य (3) रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पक्ष रखने के लिए संयुक्त सचिव —सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुनर्नियोजन के लिए) (पुष्टी के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे;-** (1) महानिदेशक (अनुसंधान और विकास), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष (2) निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन विकास संगठन निदेशालय —सदस्य (3) अवर सचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय अथवा सहायक वित्त सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सुरक्षा अधिकारी	20* (2017) *कार्यभार के आधार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सशस्त्र बल कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन।	प्रोन्नतिः- (i) ऐसे ज्येष्ठ सुरक्षा सहायक से 67% प्रतिशत प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 –112400 रु.) के पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सुरक्षा और अग्निशमन पर विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। (ii) ऐसे ज्येष्ठ पर्यवेक्षक (जनरल ड्यूटी) 'ख' से 33% प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) के पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सुरक्षा और अग्निशमन पर विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) या इसके समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है सहित; और

	(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है अर्थात् :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और (ii) किसी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में सुरक्षा और अग्निशमन कार्यों में दो वर्ष का अनुभव **वांछनीय** अग्निशमन कार्यों में प्रशिक्षण/अनुभव **टिप्पण :** पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-112400 रु.) में सेना, नौसेना तथा वायुसेना के सुबेदार रैंक या समकक्ष रैंक के ऐसे सशस्त्र बल के कार्मिकों के संबंध में भी विचार, किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हैं। ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल में नियुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर बने रहने दिया जा सकता है यदि ऐसे पात्र अधिकारी का उस पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्ति हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर की जाएगी। (सिविलियन पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक)

(12)	(13)
<u>**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) के सदस्य है :-**</u> (1) महानिदेशक (अनुसंधान और विकास), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष; (2) निदेशक, कार्मिक निदेशालय, या निदेशक, मानव संसाधन विकास संगठन निदेशालय —सदस्य; (3) अवर सचिव (रक्षा अनुसंधान और विकास) रक्षा मंत्रालय या सहायक वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय —सदस्य <u>**समूह 'ख' विभागीय पुष्टी समिति (पुनर्नियोजन के लिए)**</u> <u>**(पुष्टी के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**</u> (1) महानिदेशक (अनुसंधान और विकास) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन —अध्यक्ष; (2) निदेशक, कार्मिक निदेशालय या निदेशक, मानव संसाधन	सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के पुनर्नियोजन के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

	विकास संगठन निदेशालय —सदस्य;	
(3)	अवर सचिव (रक्षा अनुसंधान तथा विकास) रक्षा मंत्रालय या सहायक वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान तथा विकास), रक्षा मंत्रालय —सदस्य	

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आरआर/सुरक्षा संवर्ग/सी/पी/01/1669/डी (आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 31st August, 2017

S.R.O. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence Civilian Security Cadre (Group 'A' and Group 'B') post Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Civilian Security Cadre (Group 'A' and Group 'B') posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement**.-(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Civilian Security Cadre (Group 'A' and Group 'B' posts), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall apply to the posts specified in the Column '1' of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**-The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

5. **Disqualifications.** - No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Security Officer	2* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700)	Selection.

Age-limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for armed forces personnel re-employed

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short term contract)/re-employment of armed force personnel.	**Promotion:-** Senior Security Officer with five years regular service in the post in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in security and firefighting course conducted by Defence Research and Development Organisation. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):-** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or public sector undertakings or recognized research institutions or universities or semi Government or statutory or automomous organization; **(A)** (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years regular service in posts in the Level-10(Rs.56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and **(B)** possessing the following education qualification and experience:- (i) Degree from a recognised University; **and** (ii) Five years experience in Security and Fire Fighting duties. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Deputation or re-employment (for armed force personnel):** Armed forces personnel in the rank of major or equivalent in army, navy and air force in level-11 (Rs.67700-208700 in the pay matrix who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered if selected, such officers will be given deputation terms up to the date on which they are due for

Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for promotees and Re-employment) (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director General, (Research and Development), Defence Research and Development Organisation —Chairman; (2) Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development Organisation —Member; (3) Under Secretary (Defence Research and Development) Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence —Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Security Officer	20* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44900-142400)	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for armed forces personnel re-employed.

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short term contract) deputation/re-employment of armed force personnel.	**Promotion: -** (i) 67% promotion from Senior Security Assistant with five years regular service in the post in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix and who have successfully completed the prescribed training course on security and fire fighting. (ii) 33% promotion from Senior Supervisor (General Duties) 'B' with five years regular service in the post in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix and who have successfully completed the prescribed training course on security and fire fighting. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):-** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public sector undertakings or recognized research institution or universities or semi Government or statutory or autonomous organization; **(a)** (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years regular service in posts in the Level-6 (35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; ; and **(b)** possessing the following education qualification and experience namely:- (i) Degree from a recognized University; **and** (ii) Two years experience in Security and Fire Fighting duties in a Central Government or State Government Organization or public sector undertaking or Autonomous body. **Desirable** Training/Experience in Fire Fighting duties.

	Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Deputation/re-employment (for armed force personnel).** Armed forces personnel in the rank of Subedar or equivalent in army, navy and air force in level-7 (Rs.44900-112400) in the pay matrix who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for deputation shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the armed forces; thereafter they may be continued on re-employment terms in case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to civil posts)

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director General (Research and Development), Defence Research and Development Organisation —Chairman; 2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development Organisation —Member; 3. Under Secretary (Defence Research and Development) Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence —Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for re-employment)(for considering confirmation) consisting of :-** 1. Director General, (Research and Development), Defence Research and Development Organisation —Chairman; 2. Director, Directorate of Personnel or Director, Directorate of Human Resource Development Organisation —Member; 3. Under Secretary (Defence Research and Development) Ministry of Defence or Assistant Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence —Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for re-employment of armed forces personnel.

[F. No. DHRD/87661/RRs/Security Cadre/C/P/01/1669/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.11 19:32:46 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.